न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 8/2022

बउनवान

चम्पालाल पुत्र श्रीलाल आयु 59 वर्ष, जाति मीणा निवासी ग्राम उण्डा, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओमप्रकाश मेहता द्वितीय, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 14.02.2023

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम उण्डा तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 378/519 रकबा 0.30 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 150/– रूपये शास्ति एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। अपीलांट के खातेदारी की आराजीयात तथा चारागाह भूमि का हल्का पटवारी द्वारा कोई सीमाज्ञान नहीं किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा तहसील में बैठकर उक्त कार्यवाही प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से रिपोर्ट कर चारागाह भूमि पर कब्जा होना बताया है। नायब तहसीलदार बारां द्वारा बिना कोई तहकीकात किये दिनांक 25.02.2022 को छपे हुये परफोर्मे पर साईक्लो स्टाईल निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय में विवेक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है न छपे हुए परर्फोमे पर पारित निर्णय स्पेसिफिक निर्णय की निर्णय की श्रेणी में आता है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर केवल मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुए एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.03 16:09:00 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के खाते की भूमि की कभी भी पैमाइश नहीं की है। अपीलांट को तामील नहीं करवाई गई तथा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। पश्वातवर्ती अतिक्रमी होने का पत्रावली में कोई सबूत यथा पूर्व बेदखली एवं निर्णय प्रति संलग्न नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही अपीलांट को सजायाब किया गया है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 561/19 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2019 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 378/519 रकबा 0.30 है., किस्म–चारागाह, ग्राम उण्डा पर सम्वत् 2075 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 561/19 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2019 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 196/2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज [illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.03 16:09:00 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)